



2026:AHC:59176

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3526/2026

सद्दाम

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के वकील

:

विकास चंद्र तिवारी

विपक्षी के वकील

:

सरकारी वकील

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास चंद्र तिवारी और राज्य के विद्वान ए0जी0ए0 श्री ओ0पी0 सिंह की दलीलें सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आवेदक सद्दाम की ओर से दायर की गई है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 182/2009 में, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत, गाजियाबाद जिले के भोजपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।
- आवेदक के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गलत इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक को इस मामले में जमानत दी गई थी, हालांकि 2019 से उसकी गैर-मौजूदगी के कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और उसे 2025 में गिरफ्तार किया गया और वह 08.04.2025 से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक, जो 08.04.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

5. आवेदक को इस मामले में जमानत मिल गई थी, हालांकि 2019 से उनकी गैर-हाजिरी के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और उन्हें 2025 में गिरफ्तार किया गया तथा वे 08.04.2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. सभी तथ्यों, उनकी प्रकृति और अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत का मामला बनता है। अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्त मामले में आरोपी **सद्दाम** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, आरोप निर्धारण और बी0एन0एस0एस0 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, अवर न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"